न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 99/2015

1. मोबाराम (मृत)
   1. रेवन्तराम पुत्र मोबाराम
   2. रामबक्स (मृत) पुत्र मोबा
   2/1बिराजी देवी पत्नि स्व0 रामबक्स
   2/2ओमप्रकाशपुत्र स्व0 रामबक्स
   2/3नरेन्द्र (मृत) पुत्र रामबक्स
   2/3/1 ममता पत्नि नरेन्द्र
   2/3/2अंशं पुत्र नरेन्द्र
   2/3/3अंशिका पुत्री नरेन्द्र
   2/4शशि पुत्री स्व0 रामबक्स
   2/5कविता पुत्री स्व0 रामबक्स
   3. लिछमण पुत्र स्व0 मोबा
   4. सरस्वती पुत्री स्व0 मोबा
   5. कमला पुत्री स्व0 मोबा

   समस्त जाति धोबी निवासीगण गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर ।राज0।

– वादीगण,

बनाम

1. भैरू (मृत)
   1 प्रहलाद पुत्र भैंरू
   2 मूलाराम। पुत्रगण भागीरथमल
   3. हरिराम।
   4. हणमान।
   5. मनभरी ।पुत्रिया भागीरथमल
   6. राधा ।
   7. संतोष ।
   8.जोरू पुत्र गोपी

   समस्त जाति धोबी नि0 गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।

   9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ़,जिला सीकर।
   10.उप पंजीयक,पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामदेव सिंह व भीमसिंह रूहेला,वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री प्रदीप जोशी,प्रतिवादी की ओर से।
3. श्री प्रभाती लाल,प्रति0सं0 8 की ओर से।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

दावा इस्तकरार,हक एंव दुरूस्ती इन्द्राज।

निर्णय

दिनांक :: 27.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि भूमि ख0नं0 19 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा लगानी 22.38 रूपया तन ग्राम गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। वरवक्त भू प्रबन्ध नये ख0नं0 45, 48, 49 रकबा 1.3300 है0 3.1500 है0 4.9600 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.4400 है0 डाले गये। वाद के पैरा सं0 एक में वर्णित भूमि पूर्व में ठिकाना खंडेला पानाकला की जागीरदारी की भूमि थी, जिसमें 1/2 हिस्सा जागीरदारों के एंव 1/2 हिस्सा ठिकाना मंदिर गोविन्ददेवजी के था एंव काश्त इस भूमि के 1/2 हिस्से दक्षिण की वादी करता था एंव 1/4 हिस्से की काश्त प्रतिवादी भैंरू एंव 1/4 हिस्से की काश्त प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पिता गोपाल उर्फ गोपी करता था। कुछ समय के बाद भैंरू ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि को अपने भाई गोपाल उर्फ गोपी को संभला दी और अपना कब्जा शुन्य कर लिया। इस प्रकार 1/2 हिस्सा उत्तर की काश्त प्रतिवादीगण के पिता गोपाल करने लगे जिसको अब गोपी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण प्रति0सं0 2 ता 4 करते है। वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान ने 40 वर्षो के समय से ही मौके पर बांट रखा है और बंटवारा कर काश्त बराबर कर रहे है। इस प्रकार से 1/2 हिस्सा दक्षिण का वादी बराबर काश्त कर रहा है, जिससे उसके खातेदारी अधिकार स्वंत ही अलग हो जाते है। प्रतिवादी भैंरू का इस भूमि से कोई भी संबंध नहीं है और न ही किसी तरह का कब्जा व काश्त ही है। सहवन से जमाबंदी में प्रतिवादी भैंरू का 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज हो गया है। प्रतिवादी भैंरू चालाक किस्म का व्यक्ति है जबकि वादी भोला भाला किस्म का गरीब व्यक्ति है,जो विकलांग भी है इसलिए राजस्व अधिकारियों से साज करके प्रतिवादी भैंरू ने 1/2 हिस्से में अपना नाम दर्ज करा लिया है जो कि कतई गलत एंव मनगंढत है। विवादित वर्णित भूमि हिस्सा 1/2 के दक्षिण हिस्से को काश्त वादी वर्षो से लगातार करता चला आ रहा है। मगर कुछ दिनों पूर्व वादी ने अपनी फसल की कटाई शुरू की तो प्रतिवादी भैंरू 5–7 आदमियों को साथ लेकर गया और वादी को फसल कटाई करने से धमकाया और धमकी देने लगा कि यदि वादी अपनी डोल में लगे हुए पानी के कुंचों को काटेगा तो हम लोग लाठी के बल पर वादी को ठीक कर देगें और यदि वादी फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आयेगा तो मैं इस जमीन को बेचान करके ही दम लूंगा, क्योंकि इस भूमि का खाता तो मेरे ही नाम से है। वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आये तथा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 सही होने से स्वीकार है। मद सं0 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 व 10 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से स्वीकार नहीं है। विशेष कथन मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी प्रति0सं0 1 के ताउ मानाराम की पुत्री मु0 मुली देवी का पुत्र है। विवादित भूमि से मानाराम तथा मु0 मुली देवी का कभी कोई संबंध कब्जा अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं रहा है।वादी तथा प्रति0सं0 2ता 4 ने आपस में साज कर रखी है

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

तथा एक गुट बना रखा है तथा प्रति0सं0 1 के खिलाफ में झुंठे व निराधार दावे व आवेदन पेश कर उत्तरदाता प्रति0सं0 1 की वृद्धावस्था तथा अशिक्षित होने का असहाय होने का फायदा उठाने व मुकदमें में फंसा कर भूमि को हजम करना चाहते है। ग्राम गोरधनुपरा की कृषि भूमि ख0नं0 19 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा आराजी अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रति0सं0 1 का 1/2 भाग पश्चिम और का है जिस पर वह बाहमी बंटवारा जो काफी वर्षो पहले हुआ है,से काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 भाग पूर्व ओर का प्रति0 सं0 2 ता 4 का है। वादी का विवादित भूमि पर न तो कोई कब्जा है तथा ना ही वादी का विवादित भूमि से किसी भी प्रकार का संबंध हक हिस्सा अधिकार है। वादी तथा प्रति0सं0 2 ता 4 निहायत चालाक मुकदमें बाज व्यक्ति है तथा वह भोलाभाला अनपढ गरीब व्यक्ति है। वादी ने चालाकी से उसकी खातेदारी एंव कब्जे अधिकार के 1/2 भाग को हडप करने की नियत से राजस्व अधिकारियों से साजिश कर गिरदावरियों में 1/4 भाग में अपना नाम अंकित करवा लिया है तथा उसका नाम 1/4 भाग में अंकित करवा दिया है। इस तथ्य का ज्ञान उसको कभी नहीं होने दिया है। इसके आधार पर वादी को किसी प्रकार कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ना ही उत्तरदाता प्रति0सं0 1 उक्त गलत इन्द्राज से पाबंद ही है। वादी का विवादित भूमि से कभी कोई संबंध कब्जा हक अधिकार किसी भी प्रकार से नहीं रहा है। वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादी व प्रति0सं0 2 ता 4 ने आपस में षड़यंत्र रचकर तथा एक गुट बना रखा है। प्रति0सं0 1 का अनपढ व वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से वादी ने विवादित भूमि में अपना 1/2 भाग तथा प्रति0स0ं 2 ता 4 को 1/2 भाग का वाद में अंकित किया है जो स्पष्ट दर्शाता है कि वादी तथाप्रति0सं0 2 ता 4 ने चालाकी से उसकी भूमि हडपने का असफल प्रयास किया है। उत्तरदाता ने अपने 1/2 हिस्से भाग पश्चिम ओर की मिट्टी का डोल लगाकर अलग कब्जा कर रखा है मौके पर उत्तरदाता प्रति0सं0 1 तथा प्रति0सं0 2 ता 4 ने अपना हिस्सा अलग–अलग कर कदीम से काश्त करते आ रहे है। वादी का विवादित भूमि से कोई संबंध कब्जा हक नहीं है। ऐसी दशा में विवादित भूमि का बंटवारा करवाने का कानूनन वादी कोई अधिकार नहीं है। प्रति0सं0 1 विवादित भूमि 1/2 भाग के काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिए खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। वादी का वाद अस्पष्ट व अपूर्ण है।वाद बदनियती पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी तथा प्रति0सं0 2 ता 4 उत्तरदाता की भूमि पर लाठी व ताकत के बल पर तथा वाद पत्र की आड में बलात कब्जा करना चाहते है यदि वादी तथा प्रति0सं0 2 ता 4 अपने इस कुद्वेश्य में सफल हो गये तो उत्तरदाता को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तथा ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति ही वादी के पक्ष मे है। इसके विपरित उत्तरदाता विवादित भूमि के 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार है । इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। वादी ने मृतक चौथुराम के खिलाफ दावा पेश किया है। चौथुराम पुत्र गोपाल जाति धोबी नि0 गोरधनपुरा जो कि प्रति0सं0 3 है को मरे हुए काफी साल हो चुके है। चौथूराम दावा दायरी से पूर्व ही स्वर्गवासी हो चुका था। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कानूनन दावा नहीं चल सकता है। इस कारण दावा वादी संपूर्ण अवैट होकर खारिज किया जाना आवश्यक है । दायरी दावे के बाद राज्य

[signature] ... (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

सरकार द्वारा नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर साबित ख0नं0 19 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोरधनपुरा उप तहसील पलसाना का सेटलमेंट विभाग द्वारा बाद जांच एंव आवश्यक कार्यवाही कर नवीन ख0नं0 कायम किये जाकर कई टुकडों में परिवर्तित कर दिये गये है। भू प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1985 से प्रारम्भ होकर 1994 तक जारी रहीं तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख0नं0 कायम किये जा चुके है।वादी ने आज तक नवीन खसरा नंबर को दावे में समावेश करन का कोई आवेदन न्यायालय में पेश नहीं किया है बल्कि आज भी साबिक खसरा नम्बर से ही दावा न्यायालय में चला रहा है। यदि मान0न्यायालय द्वारा दावा डिक्री भी कर दिया जाता है तो उसकी पालना होना मुश्किल होगा। उत्तरदाता प्रति0सं0 1 का प्रथम दृष्टया मामला काफी संबल है, सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। प्रति0सं0 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रति0सं0 4 ने जवाब दावा पेश कर मद सं0 1 स्वीकार किया है। मद सं0 2 लगायत 8 गलत होने से अस्वीकार किया है। मद सं0 9 कानूनी होना बताया है। मद सं0 10 स्वीकार नहीं होना बताया है। विशेष कथन में अंकित किया है कि कृषि भूमि ख0नं0 19 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा पुराना जिसके नये ख0नं0 45 रकबा 1.33 है0 ख0नं0 48 रकबा 3.15 है0 ख0नं0 49 रकबा 4.96 है तन ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। उक्त आराजी का विभाजन प्रति0सं0 1 ता 4 ने अपनी ईच्छा से मिति फाल्गुन सुद्धि 8 संवत् 2030 को कर लिया था। विभाजन इस प्रकार किया कि भूमि ख0नं0 63 रकबा 33 बीघा जो ग्राम चेतनदास की ढाणी तन पलसाना में अवस्थित है, जिसमें प्रति0 सं0 4 जोरू का 1/12 हिस्सा था वह पुराना ख0नं0 19 में प्रति0सं0 2 भागीरथ, चौथू का हिस्सा था तथा प्रति0सं0 4 का हिस्सा था। प्रति0सं0 2 ता 4 ने आपस में अपनी इच्छानुसार बिरादरी के समक्ष भूमि ख0नं0 19 पुराना व भूमि ख0नं0 63 ग्राम चेतनदास की ढाणी का आपस में विभाजन इस प्रकार कर लिया कि प्रति0सं0 2,3 ने अपना हिस्सा जो ख0नं0 19 में था व प्रति0सं0 4 जोरू को दे दिया व ख0नं0 63 में जो प्रति0सं0 4 जोरू का हिस्सा था। वह अपना हिस्सा प्रति0सं0 1 व 2 चौथू के वारिसान को दे दिया। इस प्रकार भूमि ख0नं0 19 पुराना जो ग्राम गोरधनपुरा में अवस्थित है, की संपूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा उत्तर की तरफ की भूमि का खातेदार काश्तकार अकेला प्रति0सं0 4 जोरू हो गया। उक्त संबंध में वाद में एक बाहमी विभाजन की लिखा पढी दिनांक 11.7.1995 को की गई, जिसकी नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 13.7.1995 को पंजीयन करवायी गई, जिस पर समस्त हिस्सेदारान के हस्ताक्षर व अंगूठे है। उक्त कारण से ख0नं0 19 के रकबे की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि उत्तर की तरफ की से स्व0 गोपाल उर्फ गोपी के अन्य वारिसान का कोई हक व हिस्सा संबंध कब्जा मिति फाल्गुन सुद्धि 8 संवत् 2030 के दिन से नहीं रहा। केवल प्रति0सं0 4 जोरू अकेला ही उक्त भूमि पर काबिज है तथा शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। और वर्तमान में प्रति0सं0 4 जोरू का ही वास्तविक कब्जा है। प्रति0सं0 4 जोरूराम ने भूमि ख0नं0 19 पुराना जिसके वर्तमान ख0नं0 45, 48, 49 कुल किता 3 कुल रकबा 9.44 है0 तन ग्रम गोरधनपुरा में अवस्थित है, मे से 1/2 हिस्सा उत्तर की तरफ की भूमि में ख0नं0 49 रकबा 4.96 है0 में एक अपने स्वंय के खर्चे से कुंआ बनवाया और विधुत

Scanned with CamScanner

कनेक्शन अपने नाम से लगवाया, जिसका बिल प्रति0सं0 4 स्वंय विधुत मंडल को अदा कर रहा है। उसने विवादित भूमि के उत्तर की तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि में फव्वारा लगा रखे है। प्रति0सं0 1 ता 4 ने विवादित भूमि का विभाजन कर लिया और विभाजन के बाद सीव कायम कर 3 फीट उंची मिटटी की दिवार बना ली जो अब भी कायम है। उक्त विभाजन लगभग 30 साल पूर्व कर लिया था। उक्त विभाजन के बाद प्रति0सं0 2 ता 4 ने उक्त प्रकार आपस में विभाजन कर लिया और विभाजन के अनुसार विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा उत्तर की भूमि प्रति0सं0 4 जोरूराम के अकेले के हिस्से में आ गई और जोरूराम प्रति0सं0 4 विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार हो गया। प्रति0सं0 2 व 3 , 3 के वारिसान का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है और ना ही उक्त विभाजन के बाद से कब्जा है। दावे में स्व0 चौथू के कानूनी वारिसान जिनका नाम राजस्व रिकार्ड जमांबंदी में अंकित है, को पक्षकार नहीं बनाया गया और मान0 न्यायालय द्वारा स्व0 चौथू के आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने के कारण दावा अवैट कर दिया गया, ऐसी दशा में कानूनन दावा चलने योग्य नहीं है, निरस्त किया जावे। वादी को शुरू से ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि का भली भांति ज्ञान था। परन्तु उसने इस दावे से पूर्व अपने नाम खातेदारी करवाने का कोई दावा व कानूनी कार्यवाही नहीं की। वादी का दावा मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने केवल हैरान व परेशान करने की दुर्भावना से तथा गलत तथ्य अंकित कर दावा पेश किया है। जबकि वादी किसी भी प्रकार की खातेदारी अपने नाम करवाने व विभाजन करवाने तथा दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को करवाने का अधिकारी नहीं है। जवाद दावा पेश कर दावा वादी मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण ने जवाब काउन्टर दावा पेश कर काउन्टर क्लेम की मद सं0 11 में वर्णित वादीगण के पिता भैंरू के ताउ मानाराम की पुत्री मूली देवी का पुत्र होना स्वीकार है, बाकी सारी बाते गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 12 गलत एंव बेबुनियाद है। मद सं0 13 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 गलत होने से अस्वीकार होना बताया है। जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर प्रति0सं0 1 द्वारा जो अब प्रहलाद है, के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

वाद में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण भूमि ख0नं0 19 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा तन ग्राम गोरधनपुरा के वर्तमान ख0नं0 45, 48, 49 का बंटवारा कर दक्षिणी 1/2 हिस्सा का वादी स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी कदर की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा साबित होने व प्रतिवादी भैंरू एंव उसके पुत्र का कब्जा साबित नहीं होने से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

3. आया प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा पूर्व में होने एंव 1/2 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार होने व वादी का विवादित भूमि पर कब्जा व हक अधिकार नहीं होने से वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रति0सं0 1
4. अनुतोष।

वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2043–46 ग्राम गोरधनपुरा तह0दांतारामगढ़ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, भू प्रबन्ध विभाग का पर्चा लमान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02,ग्राम गोरधनपुरा का पर्चा राजसवाई जयपुर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, गिरदावरी संवत् 2012 प्रदर्श–04,रसीद प्रदर्श–05, 06, रसीद सं0 2016 प्रदर्श 07, रसीद संवत् 2013 प्रदर्श 08, रसीद सं 2014 रसीद ठिकाना मंदिर गोविन्देवजी प्रदर्श–09, 10 एंव 11 से 15, जमाबंदी संवत् 2069–72 प्रदर्श–16,मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–17, जमाबंदी प्रदर्श–18 व 19, नकल खसरा गिरदावरी ग्रामगोरधनपुरा संवत् 2010–11 प्रदर्श 20, खसरा गिरदावरी 2018 प्रदर्श 21, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 22 व राजस्व अपील अधिकारी,सीकर कोर्ट का फैसला दिनांक 11.9.91 प्रदर्श 23, जमाबंदी खतौनी संवत् 2018–21 प्रदर्श–24 पेश किए।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,जवाब दावा, काउन्टर क्लेम,साक्ष्य में वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा, काउन्टर क्लेम , साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया।

वाद पत्र एंव जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम तथा जवाब काउन्टर क्लेम में अंकित कथनों के आधार पर कायम की गई तनकीयात का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :–

<u>तनकी सं0– 01</u>

आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण भूमि ख0नं0 19 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा तन ग्राम गोरधनपुरा के वर्तमान ख0नं0 45, 48, 49 का बंटवारा कर दक्षिणी 1/2 हिस्सा का वादी स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी कदर की डिक्री जारी करवाने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–01 से 24 का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–01 वाद के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2043–46 ग्राम गोरधनपुरा तह0दांतारामगढ़ के गत खसरा नंबर 19 रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भागीरथ, चौथू, गौरू पि0 गोपाल 1/2 ब0 हिस्सा बराबर, भैरू पुत्र दुला 1/2 कौम धोबी सा0 देह के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 व 15 में गोपी, भैंरू, मेवा पुत्र दला धोबी अंकित है। प्रदर्श–18 नकल जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नंबर 19 की खातेदारी में अन्य खातेदारान के साथ मोबा का भी नाम दर्ज है। प्रदर्श–19,20,21,22 खसरा गिरदावरियों में भी अन्य उप कृषकों के साथ मौबा का नाम भी

Rohitaly
[illegible] (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

कॉलम नंबर 5 व 6 में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 26.08.2006 वादी मौबाराम व प्रतिवादी प्रहलाद के मध्य हुआ है कि मद सं0 4 में अंकित किया गया है कि " यह कि वाद में वर्णित भूमि में 1/2 में से ही 1.80 है0 प्रतिवादी प्रहलाद के हिस्से में रहेगी और 2.92 है0 भूमि में वादी का हक व हिस्सा रहेगा।" उक्त राजीनामा जब तक प्रभावी है तब तक पक्षकारान अपने लिखित कथनों से प्रतिबंधित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 11.09.1991 द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर ने अपील मोबाराम बनाम भागीरथ वगैरह में पारित उक्त निर्णय के पृष्ठ सं0 5 में अंकित किया गया है कि विवादित भूमि पर रेस्पो0 भैंरू का कब्जा भी दस्तावेजी एंव ठोस पर्याप्त साक्ष्य से प्रमाणित नहीं पाया गया है,क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य के संबंध में प्रस्तुत मात्र मौखिक साक्ष्य भी जिरह के अभाव में विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। वादी रेवतराम,लिछमण पुत्र मौबाराम, ओमप्रकाश पुत्र रामबक्स धोबी व गवाह मोतीराम पुत्र घडसीराम जाट, मदनलाल पुत्र कालूराम कुमावत ने अपने सशपथ बयानों में वादीगण के वाद पत्र में अंकित कथनों की ताईद की है। प्रतिवादीगण द्वारा सशपथ पत्र करवाये गये बयान प्रहलाद पुत्र सुरजाराम जाट, श्यामलाल पुत्र टोडूराम जाट द्वारा प्रस्तुत शपथ की मद सं0 3 में अंकित किया गया है कि "यह है कि ग्राम गोरधनपुरा में अवस्थित कृषि भूमियों में से 1/2 हिस्सा उत्तर की तरफ की भूमि को अकेले वादी जौरूराम को काश्त करते देख रहा हूं और जोरूराम का ही कब्जा है तथा दक्षिणी 1/2 हिस्से पर मौबाराम के वारिसान को काश्त करते हुए देख रहा हूं। स्व0 भागीरथ व स्व0 चौथूराम की संतान का गोरधनपुरा में अवस्थित कृषि भूमि पर कब्जा गत 40–50 साल से नहीं रहा है बल्कि जौरूराम वादी का कब्जा है। "इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं0 01 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0– 02

आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा साबित होने व प्रतिवादी भैंरू एंव उसके पुत्र का कब्जा साबित नहीं होने से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित करने का जिम्मा वादीगण का था। तनकी सं0 1 के विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया यह साबित हो चुका है कि विवादित आराजी पर मुताबिक पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व राजीनामा के वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0– 03

आया प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा पूर्व में होने एंव 1/2 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार होने व वादी का विवादित भूमि पर कब्जा व हक अधिकार नहीं होने से वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रति0सं0 1

र(मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

इस तनकी सं0 3 को साबित करने का जिम्मा प्रति0सं0 1 का था। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा दिनांक 26.08.2006 जो वादी मौबा व प्रतिवादी प्रहलाद के मध्य हुआ था, उसके प्रभावी रहते हुए प्रति0सं0 1 वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी के गवाहान प्रहलाद व श्यामलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्रों में भी वादी मौबाराम के वारिसान का कब्जा काश्त होने का अंकन किया है। अतः तनकी सं0 3 प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0– 04– अनुतोष।

पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

तनकीवार विश्लेषण के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल रहे है एंव प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को प्रमाणित करने में असफल रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नंबर 45, 48 व 49 कुल किता 03 कुल रकबा 9.44 है0 के दक्षिणी 1/2 हिस्से में से 2.92 है0 भूमि का वादीगण को व 1.80 है0 का प्रतिवादी सं0 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादीगण के उक्त हिस्से की भूमि पर किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करे। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner